अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 533(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 549 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने शंकर फाउन्डेशन फ्लैट नं0 38, डी नं0 7-8-23/1 (13) ,महाराजा टावर्स, विशाखापत्तनम-530003 द्वारा विशाखापत्तनम आन्ध्रप्रदेश में उपकरणों की खरीद तथा अस्पताल परियोजनाओ को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 13 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 30 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 970 (अ0) द्वारा पुनःसंशोधित किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शंकर फाउन्डेशन फ्लैट नं0 38, डी नं0 7-8-23/1 (13) ,महाराजा टावर्स, विशाखापत्तनम-530003 द्वारा विशाखापत्तनम आन्ध्रप्रदेश में उपकरणों की खरीद तथा अस्पताल परियोजनाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए तीन करोड़, चौसठ लाख, पचपन हजार रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 124-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)